



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 18/2001-02

बुधराम माझी एवं अन्य।

वनाम

मनोज कुमार बिरुवा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>यह वाद दिनांक 10.12.2001 को वादी बुधराम माझी, पिता- स्व० सुराये माझी एवं 15 अन्य, ग्राम- मालीडु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि के थाना संख्या- 256, खाता संख्या- 122, प्लॉट संख्या- 200, रकवा- 0.0.7 डिसमिल, एवं प्लॉट संख्या- 201, रकवा- 25 डिसमिल, प्लॉट संख्या- 202, रकवा- 0.15 डिसमिल एवं प्लॉट संख्या- 211, रकवा- 0.15 डिसमिल भूमि Decree declaring sale deed no.- 612 एवं 613 दिनांक- 09.03.2000 के लिए प्रतिवादी मनोज कुमार बिरुवा, पिता- अर्जुन बिरुवा, ग्राम- मालीडु, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दीवानी वाद दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी एवं उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को अपने दावे के समर्थन में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	